[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 27/2022-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितम्बर, 2022

सा.का.नि... (अ)- जहाँ कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहाँ से निर्यातित और भारत में आयातित 'हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) घटक आर-32' (एतश्मिन् पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) 51) (एतश्मिन् पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ उप-शीर्षक 2903 39 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 6/33/2020- डीजीटीआर, दिनांक 23 सितंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय तक पहुँचे हैं कि -

(i) विषयगत देश से विषयगत वस्तु का भारत में निर्यात उसके सामान्य से कम मूल्य पर किया गया है, जिसके कारण यहाँ इसकी भरमार हो गई है;

(ii) विषयगत देश से इस प्रश्नगत उत्पाद की यहाँ भरमार होने के कारण यहाँ के घरेलू को सारवान क्षति हुई है;

(iii) यह सारवान क्षति विषयगत देश से विषयगत वस्तु के फालतू आयात के कारण हुई है,

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस प्रकार की क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहाँ से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी;

और जहाँ कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 75/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), (एडीडी), जिसे सा.का.नि. 874(अ) दिनांक 21 दिसंबर, 2021, के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत उक्त विषयगत वस्तु पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहाँ कि झेजियांग क्योज़ोऊ जुक्सिन फ्लोरीन केमिकल कं, लिमिटेड और झेजियांग कुहुआ फ्लोर-केमिस्ट्री कं, लिमिटेड ने उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया था कि अधिसूचना संख्या 6/33/2020- डीजीटीआर, दिनांक 23 सितंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के झेजियांग क्योज़ोऊ जुक्सिन फ्लोरीन केमिकल कं, लिमिटेड का नाम बदलकर मैसर्स झेजियांग कुहुआ फ्लोर-केमिस्ट्री कं, लिमिटेड कर दिया जाए;

और जहाँ कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 07/04/2022- डीजीटीआर, किया गया था, के तहत इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यह अनुरोध केवल नाम बदले जाने की श्रेणी में आता है और इसमें स्वामित्व को लेकर ऐसे किसी परिवर्तन की बात नहीं है जिससे कि कार्य व्यापार की मूल प्रकृति में कोई अंतर होता हो और उन्होंने अपने अंतिम निष्कर्ष वाली अधिसूचना संख्या 6/33/2020- डीजीटीआर, दिनांक 23 सितंबर, 2021 में उत्पादक अर्थात झेजियांग क्योज़ोऊ जुक्सिन जुक्सिन फ्लोरीन केमिकल कं, लिमिटेड का नाम बदलकर झेजियांग कुहुआ फ्लोर-केमिस्ट्री कं, लिमिटेड लिमिटेड किए जाने की सिफारिश की है;

अत: अब सीमाशुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन, उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 75/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), जिसे सा.का.नि. 874(अ), दिनांक 21 दिसंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 2 के समक्ष, कॉलम 6 में प्रविष्टि के स्थान पर "झेजियांग कुहुआ फ्लोर-केमिस्ट्री कं, लिमिटेड" प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. सीबीआईसी-190354/244/2021-टीओ(टीआरयू-I)-सीबीईसी]

(नितिश कर्नाटक)

अवर सचिव, भारत सरकार